

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)


वादीगण
रूपा पुत्र भगा जाति मेघवंशी
निवासी चामुण्डेरी तहसील बाली वगैरा

बनाम

प्रतिवादी
राजस्थान सरकार जरिये
(भूमिधारी) तहसीलदार बाली

किस्म मुकदमा राजस्व वाद GCMS NO. -2025/616
वाद अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये
04/11 25	<p>तहसीलदार बाली से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर पत्रावली पेश हुई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार ग्राम चामुण्डेरी स्थित भूमि खसरा नंबर *844, 845 कुल खसरा 2 कुल रकबा 1.1700 हैक्टर किस्म चाही सोयम, जाव सोयम एवं गै. मु. बेरा कुल लगान 9.2600 रूपये के रिकार्ड ऑफ राईट्स जमाबंदी में वादीगण के रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार मौके पर किये गये विभाजन के अनुरूप राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत विभाजन की डिक्री जारी की जाती है। पटवारी हलका, चामुण्डेरी एवं तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय के साथ तहसीलदार, बाली से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव की प्रति रिकार्ड में अमल दरामद व नक्शे में तरमीम के लिये तहसीलदार, बाली को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	



3
सहायक कलक्टर एवं पदेन्
उपखण्ड अधिकारी, बाली
उपखण्ड अधिकारी, बाली

डिगरी बमुकदमें इब्लदाई
(ओ. 20 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)
बइजलास श्री दिनेश विश्‍नोई, आर.ए.एस.

वादीगण
रूपा पुत्र भगा जाति मेघवंशी
निवासी चामुण्डेरी तहसील बाली वगैरा

बनाम

प्रतिवादी
राजस्थान सरकार जरिये
(भूमिधारी) तहसीलदार बाली

किस्म मुकदमा राजस्व वाद GCMS NO. 2025/ 676
वाद अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष पेरोकार सरकार मिनजानिब मुद्दई व मिनजानिव मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार ग्राम चामुण्डेरी स्थित भूमि खसरा नंबर 844, 845 कुल खसरा 2 कुल रकबा 1.1700 हैक्टर किस्म चाही सोयम, जाव सोयम एवं गै. मु. बेरा कुल लगान 9.2600 रुपये के रिकार्ड ऑफ राईट्स जमाबंदी में वादीगण के रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार मौके पर किये गये विभाजन के अनुरूप राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत विभाजन की डिक्री जारी की जाती है। पटवारी हल्का, चामुण्डेरी एवं तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार बाली को इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं लट्टा नक्शा में दुरस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। वादग्रस्त भूमि पर बैंक रहन इस निर्णय से अप्रभावित रहेगा।

बसब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 04/11/25 को जारी की गई।



(दिनेश विश्‍नोई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन्
उपखण्ड अधिकारी, बाली

राजस्थान सरकार

NIC-BHUNAKSHA

खसरा नक्शा एवं जमाबंदी(प्रतिलिपि)

दिनांक : 14/10/2025 11:12:51 AM


जिला : पाली

तहसील : बाली

भू. अ. नि. क्षेत्र : चामुण्डेरी

पटवारी हल्का : चामुण्डेरी

ग्राम : चामुण्डेरी



Scale 1:2000

खसरा संख्या : 844 क्षेत्रफल : 1.1400 Hectare खाता संख्या : 908 पुराना खाता संख्या : 892

भूमि किस्म [क्षेत्रफल लगान] : चाही सोयम [0.2200, 3.74], जाव सोयम [0.9200, 5.52]

- 1.) रूपा पुत्र भगा हिस्सा- 1/2 जाति- मेगवेंशी सा. देह खातेदार हिस्सा-1/2 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ इंडि. या शाखा NANA
- 2.) वेला पुत्र भगा हिस्सा- 1/2 जाति- मेगवेंशी सा. देह खातेदार हिस्सा-1/2 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ इंडि. या शाखा नाना

गैरबंश (0.03)

देना

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील

- नोट :-
1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
 2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
 3. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

तहसीलदार (भू.अ.) बाली

राहुल लोहार
पटवारी(भू.अ.)
तह.बाली जिला-पाली